पीठासीन पदाधिकारी–अवनीन्द्र प्रकाश
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी
मंझौल (बेगूसराय)
परिवाद पत्र संख्या– 26सी/2023
दिनांक– 09.03.2026

<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल, जिला– बेगूसराय</u>

उपस्थित– अवनीन्द्र प्रकाश

अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल (बेगूसराय)

दिनांक– 09.03.2026

परिवाद पत्र संख्या– 26सी/2023

प्रेमा देवी बनाम मनी तांती

परिवादी	प्रेमा देवी, पति–सुधीर तांती, उम्र–35 वर्ष, साकिन– कमला, वार्ड नं0– 14, थाना– मंझौल, जिला–बेगूसराय।
परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री गंगेश्वर प्रसाद सिन्हा
अभियुक्तगण	1. मनी तांती, उम्र– 45 वर्ष, पिता– वौकू तांती 2. गुलशन तांती, उम्र– 30 वर्ष, पिता– वौकू तांती 3. सियाराम तांती, उम्र– 28 वर्ष, पिता– वौकू तांती 4. संतोष तांती, उम्र– 38 वर्ष, पिता– वौकू तांती 5. भागवत देवी, उम्र– 36 वर्ष, पति– दिनेश तांती सभी साकिन– कमला, वार्ड नं0– 14, थाना– मंझौल, जिला बेगूसराय।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री संजीव कुमार महाराज

पीठासीन पदाधिकारी–अवनीन्द्र प्रकाश
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी
मंझौल (बेगूसराय)
परिवाद पत्र संख्या– 26सी/2023
दिनांक– 09.03.2026

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्तगण धारा– 341, 323, 342, 379, 448 भा0 द0 वि0 एवं 3/4 डायन एक्ट के अंतर्गत आरोपित है और विचारण का सामना कर रहे है।

2. परिवादी के द्वारा एक परिवाद पत्र दिनांक 17.02.2023 को अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात परिवाद पत्र पर सुनवाई के उपरांत अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी मंझौल के न्यायालय में जांच एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्धारित किया गया।

3. न्यायालय द्वारा धारा– 341, 323, 342, 379, 448 भा0 द0 वि0 एवं 3/4 डायन एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया और तत्पश्चात अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई।

4. दिनांक 11.12.2025 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धारा के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसका सारांश हिंदी में खुले न्यायालय में सुनाया गया जिसे सुनकर उन्होंने इंकार किया एवं आगे वाद विचारण का दावा किया।

5. दिनांक 07.02.2026 को परिवादी का साक्ष्य बंद किया गया एवं दिनांक 16.02.2026 को द0 प्र0 स0 की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने अपने को निर्दोष बताया।

6. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या परिवादी पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तिमुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं।

साक्षियों के साक्ष्य

7. परिवादी की ओर से कुल 03 साक्षियों के साक्ष्य परीक्षण न्यायालय मे समक्ष कराया गया है, जिसमें परिवादी साक्षी स0 **01. नवीन चौधरी, 02. कमलदेव कुमार, 03. प्रेमा देवी** है।

8. परिवादी साक्षी स0 **01. नवीन चौधरी है,** यह साक्षी दिनांक 17.04.2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुख्यपरीक्षण में घटना के बारे में कहा है कि यह केस प्रेमा देवी ने मणीलाल तांती, गुलशन तांती, संतोष तांती, सियाराम तांती, भागवत देवी कुल 05 पर मुकदमा किया है। घटना 02 साल 02 महिने के पहिले, समय 03 बजे शाम की है, घटना में प्रेमा देवी अपने घर पर थी, अभियुक्तगण प्रेमा देवी के घर पर गये, प्रेमा देवी को अभियक्तगण बोले बपचोदी पति को खाकर डाईन सिखी है उसके बाद अभियुक्तगण प्रेमा देवी को मारने पीटने लगे और उसके बाद मणिलाल तांती बोला की तुम मेरे बेटे को बीमार कर दिया है उसे ठीक करो, प्रेमा देवी बोली की हम डॉक्टर है की ठीक कर देंगें, उसके बाद प्रेमा देवी का बाल पकड़कर घींचते हुए बाहर ले गया उसके बाद उसे डंटा से मारा, सियाराम तांती ने प्रेमा देवी के मुॅह में गोबर ओंस दिया, गुलशन तांती ने प्रेमा देवी का साडी खींच दिया, संतोष तांती बोलने लगा की तुमको जान से मार देंगें, भागवत देवी ने प्रेमा देवी का कान का बाली छीन लिया, मणीतांती प्रेमा देवी को डंटा से मार रहा था, प्रेमा देवी जब खुब चिल्लाने लगी तब सभी लोग जुटे गये।

परिवादी साक्षी स0 01. नवीन चौधरी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना 21.01.2023 की है। वह एक भी केस नहीं लड़ता है और पुनः कहता है इसी पर एक केस किया है, मुदालय पर एक केस किये है। वह उधर काम करता है इसलिए प्रेमा देवी को जानता है।

9. परिवादी साक्षी स0 **02. कमलदेव कुमार** है, यह साक्षी दिनांक 19.06.2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुख्यपरीक्षण में घटना के बारे में कहा है कि यह केस प्रेमा देवी ने मणिलाल तांती, संतोष तांती, गुलशन तांती, सियाराम तांती, भागवत देवी पर किया है। घटना 2 साल 5 महिने पूर्व की है। घटना के समय वह रास्ते से जा रहा था तब उसने देखा कि लड़ाई, झगडा हो रहा था, समय करीब 3 बजे शाम की है। यह झगड़ा प्रेमा देवी और मणिलाल में हो रहा था। कुल पॉच आदमी वहॉ पर थे। मणिलाल तांती बोले कि बपचोदी डाईनियॉ तुम सब कुछ खा गई हो और मेरे बेटे को बीमार कर दी हो ठीक कर दो। इस बात पर प्रेमा देवी ने बोला की हम डॉक्टर है जो ठीक करेंगे। इसी बात पर मणिलाल तांती प्रेमा देवी का बाल खींचकर मारपीट करने लगा और गुलशन तांती ने परिवादिनी का साड़ी खींच कर नंगा कर दिया जिससे परिवादिनी अर्धनग्न हो गयी। सीयाराम तांती ने परिवादिनी के मुॅह में गोबर लपेट दिया और बोलने लगा कि गुह को घोरकर डाईनियॉ को पिलाओ। संतोष तांती बोला की इस

बपचोदी को जार से मार देंगे। भगवती देवी ने कान का बाली खींच लिया जो 4 अना का था, जिसकी कीमत 10 हजार रूपया होगा। हल्ला गुल्ला हुआ तब नवीन चौधरी, फुलो देवी, प्रिति कुमारी सभी मिलकर झगड़ा को छुड़ाया और अभियुक्तगण उसे भी धमकी दिया कि अगर तुम गवाही में जाओंगे तब तुमको मारेंगे।

परिवादी साक्षी स0 **02. कमलदेव कुमार** अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आज प्रेमा देवी गवाही देने के लिए लायी है। उसके घर से प्रेमा देवी का घर 30 फीट की दूरी पर है। जब वह रास्ते से गुजर रहा था उस समय मारपीट शुरू नहीं हुआ था बल्कि गाली–गलौज हो रहा था।

10. परिवादी साक्षी स0 **03. प्रेमा देवी** है। यह साक्षी दिनांक 10.11.2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुख्यपरीक्षण में घटना के बारे में कहा है कि यह केस उसने मणी तांती, संतोष तांती, गुलशन तांती, सियाराम तांती, भागवती देवी समेत कुल 05 अभियुक्तों पर किया है। घटना 04 साल पहले की है, समय 03 बजे शाम की है। घ ाटना में सभी अभियुक्तगण मिलकर मेरे साथ मारपीट किये। भागवती देवी ने कान का बाली खींच लिया। हल्ला–गुल्ला पर ग्रामीण लोग आए।

परिवादी साक्षी स0 **03. प्रेमा देवी** अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मुदालय लोग उसके देवर, ननद लगते है। मुदालय और उसके बीच जमीन का विवाद था। जमीन का विवाद सुलह हो गया है। मुदालयलोगों से समझौता हो गया हैं और वह आगे केस लड़ना नहीं चाहती है।

पुनः आरोप पश्चात अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि इस केस में सभी व्यक्तियों से राजी–खुशी से समझौता हो गया है। अभियुक्तगण उसके देवर, ननद लगते है। उसके साथ कोई व्यक्ति ने मारपीट नहीं किया था। उसे डायन कहकर किसी ने प्रताड़ित नहीं किया था। घरेलू जमीन का विवाद था इसलिए केस किये थे। घरेलू जमीन का झंझट खत्म हो गया है और इस जमीन का हिस्सा उसे दे दिया गया है। आगे इस मुकदमा में केस नहीं लड़ना चाहते है। आगे इस केस में अन्य गवाहों की गवाही नहीं कराना चाहते है। उसका किसी व्यक्ति ने जेवर, जेवरात नहीं लिया था। अभियुक्तगण के उपर से मुकदमा समाप्त कर दिया जाय तो उसे कोई आपत्ती नहीं है।

पीठासीन पदाधिकारी–अवनीन्द्र प्रकाश
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी
मंझौल (बेगूसराय)
परिवाद पत्र संख्या– 26सी/2023
दिनांक– 09.03.2026

मंतव्य

11. उपरोक्त तथ्यों परिस्थतियों एवं साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण परिवादी के देवर, ननद लगते है। उसके साथ कोई व्यक्ति ने मारपीट नहीं किया था। उसे डायन कहकर किसी ने प्रताड़ित नहीं किया था। घरेलू जमीन का विवाद था परंतु घरेलू जमीन का झंझट खत्म हो गया है और इस जमीन का हिस्सा उसे दे दिया गया है। सभी व्यक्तियों से राजी–खुशी से समझौता हो गया है। उभय पक्षों के द्वारा दिनांक 10.11.2025 को समझौता आवेदन दाखिल है। अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद में धारा– 341, 323, 342, 379, 448 भा0 द0 वि0 एवं 3/4 डायन एक्ट के तहत आरोपित है। धारा– 3/4 डायन एक्ट को छोड़कर अन्य सभी धारांए सुलहनीय है। जहॉ तक 3/4 डायन एक्ट का प्रश्न है गवाहों की गवाही से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो सके। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

12. इस वाद के अभियुक्तगण **1. मनी तांती, 2. गुलशन तांती, 3. सियाराम तांती, 4. सतोष तांती, 5. भागवत देवी** को आरोपित अपराध की धारा– 341, 323, 342, 379, 448 भा0 द0 वि0 के आरोप से **संधि के आलोक** में एवं 3/4 डायन एक्ट के आरोप से **संदेह का लाभ** देते हुए दोष मुक्त किया जाता है तथा इनको इनके प्रतिभुओं सहित बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

कार्यलय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियत समय में नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/–

तिथि :– 09.03.2026

(अवनीन्द्र प्रकाश)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
मंझौल, बेगूसराय।

यह निर्णय मेरे द्वारा शुद्धिकृत एवं हस्ताक्षरित कर के खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

ह0/–

तिथि :– 09.03.2026

(अवनीन्द्र प्रकाश)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
मंझौल, बेगूसराय।

पीठासीन पदाधिकारी–अवनीन्द्र प्रकाश
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी
मंझौल (बेगूसराय)
परिवाद पत्र संख्या– 26सी/2023
दिनांक– 09.03.2026

Date of judgment/ Order	09-03-2026
Date of Reserveing judgemnt/ Order	25-02-2026
Uploading Date	10-03-2026
Uploaded by	Anant Kumar (Steno)